भारतीय जनता पार्टी–हिमाचल प्रदेश

प्रदेश कार्यालय

प्रैस विज्ञप्ति **दिनांक 07.12.2018**

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती ने एक प्रैस बयान में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल व सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ दूसरी एफ0आई0आर0 को भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। उन्होनें सुप्रीम कोर्ट के फैंसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बदले की भावना से दर्ज किए गए सभी केस झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होनें कहा कि कांग्रेस की सरकार में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में किस राजनैतिक बदले की भावना से काम करती रही, यह उसका स्पष्ट प्रमाण है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहकर हमेशा राजनैतिक द्वेष भावना के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं पर झूठे केस बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया, परन्तु उनके ये प्रयास कभी सफल नहीं हो पाए और अंत में जीत सत्य की हुई है। प्रो0 धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ दर्ज दूसरी एफ0आई0आर0 का रद्द होना इसका जीता जागता प्रमाण है।

श्री सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल बदले की भावना से कार्य करती है। ये बदले की भावना से राजनीतिक आधार पर किए गए केस थे जो अब समाप्त हो गए हैं। उन्होनें कहा कि एक एफ0आई0आर0 ही काफी होती है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक–2 मामले में 7–8 एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द हो गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झूठ चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य से कभी जीत नहीं सकता। उन्होनें कहा कि सत्य को पराजित करने की कितनी भी कोशिश की जाए परन्तु अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी